पत्र संख्या : 7ब / 2700–स्था०व्य० ज०सं०–06 / 2018.........205

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 08/03/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2700–मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन / 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**55.611**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये पचपन लाख एकसठ हजार एक सौ मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 18512.19 लाख **(एक सौ पचासी करोड़ बारह लाख उन्नीस हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।

11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।

15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31मार्च 2019 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 7.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 205 रॉची, दिनांक :– 08/03/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 7.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 205 रॉची, दिनांक :– 08/03/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज॰सं॰वि॰/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 7.3.19
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

पत्रांक 205 दिनांक 08/03/19 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉंध परियोजना

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2018–2019		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270001001020101	49S2700010010201101	49S270001001020112	49S270001001020213	49S2700010010201315	49S27000100102033	49S270001001020334	49S27000100102033 7	49S270001001020442	49S270001001020760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउदेशीय परि० आदित्यपुर जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	144.000	0.000	0.200	1.000	2.000	0.800	0.100	1.000	2.500	0.000	151.600	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	
		कुल आवंटन	144.000	0.000	0.200	1.300	2.000	0.800	0.100	1.000	2.500	0.000	151.900	
2	मुख्य अभियंता–ईचागालुडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन	125.260	0.000	0.400	1.000	1.300	0.500	0.075	0.000	2.400	0.000	130.935	
		अतिरिक्त आवंटन	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	
		कुल आवंटन	133.260	0.000	0.400	1.000	1.300	0.500	0.075	0.000	2.400	0.000	138.935	
3	रूपांकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	156.000	0.000	0.000	0.500	0.600	0.150	0.175	0.000	0.600	0.000	158.025	
		अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	
		कुल आवंटन	166.000	0.000	0.000	0.500	0.600	0.150	0.175	0.000	0.600	0.000	168.025	
4	खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	337.940	0.000	0.200	0.400	0.600	0.000	0.650	0.800	1.000	0.500	342.090	
		अतिरिक्त आवंटन	35.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	35.200	
		कुल आवंटन	372.940	0.000	0.200	0.400	0.600	0.000	0.650	0.800	1.200	0.500	377.290	
5	रूपांकण प्रमंडल सं0–3 आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन	324.000	0.000	0.500	1.000	0.600	0.150	0.500	0.000	1.300	0.400	328.450	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	
		कुल आवंटन	324.000	0.000	0.500	1.000	0.600	0.150	0.500	0.000	1.500	0.400	328.650	
6	विशेष भू–अर्जन पदा0 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	247.540	0.000	0.200	1.000	0.600	0.150	0.400	0.000	0.300	0.400	250.590	
		अतिरिक्त आवंटन	1.781	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.781	
		कुल आवंटन	249.321	0.000	0.200	1.000	0.600	0.150	0.400	0.000	0.300	0.400	252.371	
7	सिंचाई प्रमंडल–गालूडीह	पूर्व का आवंटन	287.000	0.000	0.000	0.600	0.600	0.150	0.500	0.300	0.000	0.200	289.350	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.130	
		कुल आवंटन	287.000	0.000	0.000	0.730	0.600	0.150	0.500	0.300	0.000	0.200	289.480	
	अतिरिक्त आवटन का योग		54.781	0.000	0.000	0.430	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	55.611	

नोटः 1. वित्त विभाग के पत्रांक 11 / विविध–14 / 2010–39 / बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

• कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये पचपन लाख एकसठ हजार एक सौ मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे) 08/03/19
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 7.3.19
अपर मुख्य सचिव